फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी,कोटपूतली जिला जयपुर

वाद संख्या-102/2023 दावा बाबत भंवरा बनाम बाबूलाल

क्र. स.	दिनांक आज्ञा / कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7-2-24	वकालत फरीकैन उपस्थित। अधिकारी द्वारा कार्यों में व्यस्त। 1-3-24 की पेश हो।
	1-3-24	वकालत पीठासीन पर है। प्रकरण पत्रावली 18-3-24 को पेश हो।
	18/3/24	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब 10 दिन 10(2) R2 के दिनांक 1.5.2024 को पेश हो। शेष आज तक्ती एक। जवाब पेश किया जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़
	1.5.24	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने एवं वादी ने निवेदन किया कि पूर्व में वाद श्योनाई v/s बाबूलाल में मेरे हक में तय होगा। अतः यह वाद को वापस लेता हूँ। अतः वादी के लिखित अभिवचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी पूर्व में राजा पेश कर रखाई जो विचाराधीन थी अतः उक्त वाद वापस लेते थे मेरे हकों का फैसला श्योनाई v/s बाबूलाल में तय हो जायेगा।

भंवरा

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़

अ.नि.